संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के संकल्प सं. 13015/1/91-रा.भा. (घ) की प्रति ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति तथा प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण तथा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपने प्रतिवेदन का तीसरा खण्ड फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 13 अक्तूबर, 1989 को लोक सभा एवं 27 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया । इसकी प्रतियां राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई । चूंकि सिफारिशों का संबंध केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण तथा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था से है, अत: इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी राय आमंत्रित की गई । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

(क) कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण

(1) हिंदी शिक्षण योजना तथा विभागीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए हिंदी शिक्षण योजना तथा अन्य विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना को सुदृढ़ करें और समिति की सिफारिश सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित करते हुए विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें ।

(2) हिंदी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी का प्रशिक्षण लेने पर वर्तमान प्रोत्साहन व्यवस्था को कुछ समय और चालू रखा जाए तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाए ।

यह सिफारिश सिद्धान्तत: स्वीकार कर ली गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।

(3) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर एक-मुश्त राशि

समिति ने सिफारिश की है कि निजी प्रयत्नों से, पत्राचार द्वारा तथा स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रशिक्षण पाकर हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को एक-मुश्त पुरस्कार की राशि दुगुनी कर दी जाए ।

सिफारिश को सिद्धांन्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है । वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह राशि जुलाई 1989 से डेढ़ गुना की जा चुकी है । इसे दुगुना करने के लिए वित्त मंत्रालय को पुन: प्रस्ताव भेजा जाए ।

(4) हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों की समीक्षा और उसमें सुधार

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और उनमें सुधार कर उन्हें कार्यालयीन काम की दृष्टि से अधिक व्यावहारिक बनाया जाये ।

समिति की सिंफारिश भी स्वीकार कर ली गई है । हिंदी शिक्षण योजना तथा इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए राजभाषा द्वारा एक पुनरीक्षण समिति के गठन के लिए समुचित कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

2493 HA/06—6A

(5) हिंदी प्रशिक्षण के लिए समय-सीमा का निर्धारण

समिति ने सिफारिश की है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों को वर्ष 1990 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में वर्ष 1993 के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाये ।

समिति द्वारा "क" एवं "ख" क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है । अपेक्षित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय संसाधनों की उपब्धता की कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि "क" एवं "ख" क्षेत्रों में वर्तमान कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 1997 के अंत तक तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को वर्ष 2000 के अंत तक पूरा कर लिया जाये । राजभाषा विभाग द्वारा शिक्षण योजना के लिए गठित की जा रही पुनरीक्षण समिति को भी यह मामला सौंपा जाये ताकि इस लक्ष्य को देखते हुए यह सुझाव दें कि वर्तमान हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या सुधार/परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है ।

(6) नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है कि नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए ।

समिति ने यह सिफारिश भी सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई कर केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दो और नये उपसंस्थान वर्ष 1990-91 के दौरान मद्रास तथा हैदराबाद में खोले हैं । राजभाषा विभाग पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त उप संस्थान हर वर्ष खोलें, साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाये कि वे अपने-अपने अधीनस्थ सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का प्रबंध कर लें कि हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने से पहले हिंदी का गहन प्रशिक्षण दिया जाये ।

(7) हिंदी शिक्षण योजना के नये केन्द्र

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण योजना के नए केन्द्र "ग" क्षेत्र में खोले जाएं ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है।

(8) हिंदी शिक्षण योजना के नये केन्द खोलने के प्रतिमानों में ढील

समिति ने सिफारिश की है कि दूरस्थ नगरों में केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में ढील दी जाये ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । राजभाषा विभाग वर्तमान मानदंड में "ग" क्षेत्र में नये केन्द्र खोलने के लिए ढील देने के लिए व्यय विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजे ।

(9) "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में कार्यरत हिंदी प्राध्यापकों को प्रोत्साहन

समिति ने सिफारिश की है कि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में काम करने वाले हिंदी प्राध्यापकों के लिए कुछ वित्तीय आकर्षण उपलब्ध कराये जाएं और निर्धारित योग्यता अथवा आयु सीमा में ढील दी जाये ।

"ख" और "ग" क्षेत्रों के लिए प्राध्यापकों की योग्यता अथवा आयु सीमा में ढील देना समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है और इसमें संवैधानिक कठिनाइयां भी आ सकती हैं । तथापि समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में से कुछ ऐसे दूरस्थ स्थानों के विषय में वित्तीय तथा अन्य आकर्षण देने के मामले पर राजभाषा विभाग विचार करे और इस संबंध में वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करें ।

(10) अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए मानदेय की दरों में वृद्धि

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए मानदेय की दरों में समय-समय पर वृद्धि की जाये ।

यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। तथापि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए, राजभाषा विभाग इस विषय में वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्यवाही करे ।

(11) प्राध्यापकों के नये पद सृजित करने के लिए प्रतिमानों में ढील

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी प्राध्यापकों के नये पद सृजित करने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है परन्तु चूंकि इसमें वित्तीय संसाधनों का प्रश्न जुड़ा हुआ है, अत: राजभाषा विभाग इस विषय में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर व्यय विभाग से परामर्श करे ।

(12) अंशकालिक केन्द्रों का पूर्णकालिक केन्द्रों में परिवर्तन करना

समिति ने सिफारिश की है कि सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण की वर्तमान अंशकालिक व्यवस्था को पूर्णकालिक व्यवस्था में बदल दिया जाये ।

सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण के लिए इस समय गहन पाठ्यक्रम, पूर्णकालिक केन्द्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षण, अंशकालिक केन्द्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षण तथा पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । यह व्यवस्था विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार ही की गयी है । अत: इन सभी व्यवस्थाओं को साथ-साथ चालू रखना अपरिहार्य है । तथापि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पहले ही पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं । अत: समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली है कि व्यावहारिक रूप में जहां कहीं संभव हो, पूर्णकालिक केन्द्र खोले जाएं । साथ-साथ इन्हीं व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार अंशकालिक व्यवस्था भी अभी जारी रखी जाए ।

(13) प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि गहन हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के लिए स्थानापन्न नियुक्ति की व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् सभी मंत्रालयों/विभागों को इस का अनुपालन करने के लिए निदेश जारी करे ।

(14) अप्रशिक्षित कर्मचारियों का रोस्टर

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के रोस्टर सभी कार्यालयों में नियमानुसार रखे जाएं ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा पहले ही निदेश दिए जा चुके हैं । तथापि राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश सभी मंत्रालयों/विभागों आदि के नोटिस में लाए तथा कर्मचारियों के रोस्टर के विषय में वर्तमान निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए अनुरोध करे ।

(15) नव प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए सुविधाएं ।

समिति ने सिफारिश की है कि नवप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बाद हिंदी में कार्य करने लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएं ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है, राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इसके अनुपालन के लिए निदेश जारी करे तथा उनसे अनुरोध करे कि इस विषय में प्रशिक्षित कर्मचारियों को पुस्तकें और संदर्भ-साहित्य उपलब्ध कराने के विषय में जारी किए गए निदेशों का पूर्णत: पालन किया जाए । साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया जाए कि संदर्भ-साहित्य को हिंदी में तैयार कराया जाए और इसका वितरण सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में सुनिश्चित किया जाए ।

(16) औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की अनिवार्यता

समिति ने सिफारिश की है कि औद्योगिक संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिन्हें लिखने-पढ़ने का कार्य करना पड़ता है, हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।

(17) हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं-सेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन

समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं-सेवी संस्थाओं को दिए जा रहे अनुदान की राशि उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाए, यांत्रिक उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें विशेष अनुदान दिया जाए, उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों के अनुरूप रखने के लिए परामर्श तथा सहायता प्रदान की जाए, उन्हें पाठ्य-पुस्तकों, प्रकाशनों, भवन-निर्माण आदि के लिए विशेष अनुदान दिया जाए तथा सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए जो इन स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यों तथा समस्याओं आदि का मूल्यांकन करके सुनियोजित समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के लिए नए और उदार मानदण्ड निर्धारित करे । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर, केन्द्रीय कर्मचारियों को वे सभी प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिएं जो कि उनको हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्राप्त होते हैं ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । शिक्षा विभाग इस विषय में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करें तथा यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति संसदीय राजाभाषा समिति की सिफारिश में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करे ।

(18) हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम

समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाए । इन पाठ्यक्रमों में सभी कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाए । पत्राचार पाठ्यक्रमों में शिक्षण सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं–जैसे अरबी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि के माध्यम से भी दिया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । शिक्षा विभाग से अनुरोध किया जाए कि वह केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा चलाए गए पत्राचार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार विस्तार करे तथा निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए, लिए जाने शुल्क को सरकारी कर्मचारियों के लिए माफ करे । केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भी वर्ष 1990-91 से अतिरिक्त पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया है । सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण अंग्रेजी-हिंदी माध्यम से ही दिया जाना अपेक्षित है । केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे अन्य पत्राचार पाठ्यक्रमों को सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजीतर विदेशी भाषाओं के माध्यम से चलाने के विषय में समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ सिद्धान्ततः मान ली गई है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में आवश्यकतानुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और इसका कार्यान्वियन करे । सभी कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिश भी इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि पत्राचार पाठ्यक्रम का लाभ वही कर्मचारी उठाए जो हिंदी शिक्षण योजना तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते ।

(19) केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

समिति ने सिफारिश की है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके उप संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । वर्ष 1990-91 में प्रशिक्षण संस्थान के दो और उप-संस्थान खोले जा चुके हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के अन्य भागों में भी अतिरिक्त उप-संस्थान खोलने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और उसके उप-संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में समुचित प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं ।

(20) दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों में हिंदी का प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में जहां दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए । प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान व्यवस्था के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति अविलंब दी जानी चाहिए ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वह अपने अधीनस्थ व अपने उपक्रमों के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसी व्यवस्था कराएं ।

(21) हिंदी प्रशिक्षण के लिए विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार

समिति ने सिफारिश की है कि जिन मंत्रालयों/विभागों में अभी हिंदी प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था नहीं है, वे भी आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था करें ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निदेश दे कि वह अपने अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/स्वायत निकायों आदि में हिंदी प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था के विषय में विचार करे तथा आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि हिंदी शिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके ।

(22) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा हिंदी पाठ्यक्रमों का प्रसारण

समिति ने सिफारिश की है कि आकाशवाणी द्वारा हिंदी भाषा पाठों के प्रसारण की अवधि तथा आवृत्ति की जाए तथा दूरदर्शन से भी हिंदी पाठ प्रसारित किए जाएं ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अनुरूप स्थिति की समीक्षा करे तथा सिफारिश के कार्यान्वियन के लिए समुचित कदम उठाएं ।

(ख) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों द्वारा हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए कार्यशालाएं इस ढंग से आयोजित की जाएं जिससे कि उन सभी कर्मचारियों को, जिन्हें हिंदी का ज्ञान है और जो अभी तक ऐसी कार्यशालाओं में नहीं भेजे गए हैं, वे इसमें भाग ले सकें । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अगले 5 वर्षों तक ऐसी कार्यशालाओं का नियम-पूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य यह हो कि प्रत्येक हिंदी जानने वाले कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार इसमें आकर हिंदी में मूल रूप से काम करने का अभ्यास करने का अवसर मिल सके ।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है । राजभाषा विभाग इस विषय में अपने निदेशों की पुनरावृत्ति करते हुए अगले 5 वर्षों तक कार्यशालाओं के आयोजन के विषय में पुनः विस्तृत निदेश सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों आदि को परिचालित करे ।

(ग) देश के सभी भागों में शिक्षा संस्थानों में हिंदी पढ़ाने की सुविधाएं

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में हिंदी की पढ़ाई के विषय में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करे कि देश भर से सभी जगह विद्यालयों, महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिंदी में भी करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो तथा हिंदी अथवा हिंदी माध्यम से पठन-पाठन करने के लिए कोई बाधा नहीं हो ।

क्योंकि शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, समिति की यह सिफारिश केवल सिद्धांत रूप में मान ली गई है । शिक्षा विभाग इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आवश्यक कदम उठाए । साथ ही शिक्षा विभाग सभी राज्य सरकारों आदि को समिति की इस सिफारिश से अवगत कराते हुए, इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के लिए भी अनुरोध करे ।

(घ) त्रिभाषा-सूत्र का कार्यान्वयन

समिति ने सिफारिश की है कि त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं तथा इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए और उसके अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए ।

चूंकि त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों पर है, अतः समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार की गई है । शिक्षा विभाग इस विषय मे पूरे सोच-विचार के साथ तथा जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ एक निश्चित कार्यक्रम बनाये और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करे । इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए ।

(च) भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प

समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती संबंधी विज्ञापनों, विवरण-पत्रों तथा साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में हों और उनमें न केवल यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार साक्षात्कार में हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग इच्छानुसार कर सकता है, बल्कि उसे लिखित रूप में यह सूचना देने के लिए भी कहा जाए कि वह किस भाषा का माध्यम चाहता है, ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार, उसी भाषा में लिया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिंदी का भी ज्ञान हो ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि भर्ती के लिए साक्षात्कार में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का विकल्प भी उपलब्ध हो तथा इस विषय में साक्षात्कार पत्र में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार को साक्षात्कार की भाषा के बारे में विकल्प सूचित करने के लिए कहा जाए । चयन बोर्ड के गठन संबंधी सिफारिश भी सिद्धांत रूप में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि हिंदी में साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी से हिंदी में ही बातचीत की जा सके ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस विषय में सभी मंत्रालयों/विभागों को समुचित निदेश जारी करे ।

(छ) कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प

समिति ने सिफारिश की है कि कृषि, इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में, जो किसी न किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिंदी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वहां जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहे, उसे हिंदी माध्यम से शिक्षण/प्रशिक्षण दिया जा सके । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिंदी माध्यम से पूरी करने के लिए अभी से प्रयत्न किया जाए और इसके लिए पाठ्य-सामग्री और संदर्भ साहित्य का भी हिंदी में निर्माण कराया जाए ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि ऐसे संस्थानों, जो किसी-न-किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिंदी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए । शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि हिंदी भाषा का विकल्प प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त दिया जा सके। इंजीनियरिंग तथा कृषि की शिक्षा में हिंदी माध्यम के विकल्प के विषय में समिति की सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है तथापि इस विषय में विभिन्न संस्थानों को छूट दी जाए कि वे हिंदी माध्यम का विकल्प देने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं । शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों को इस बारे में समुचित निदेश दें तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं ।

समिति की यह सिफारिश भी सिद्धांत रूप में मान ली गई है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिंदी माध्यम से प्रारम्भ करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास किए जाएं तथा पाठ्य-सामग्री और साहित्य का निर्माण कराया जाए । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करे और इसके लिए एक समयबद्ध योजना बना कर उसके अनुसार कार्रवाई करे ।

(ज) राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा

समिति ने सिफारिश की है कि संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में सभी पदों के भर्ती नियमों की इस दृष्टि से समीक्षा की जाए कि भर्ती के समय अंग्रेजी का अथवा हिंदी का अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान निर्धारित करना आवश्यक है या नहीं। जहां किसी पद विशेष के लिए किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य करना आवश्यक न हो, वहां हिंदी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान का विकल्प प्रत्याशी के लिए उपलब्ध होना चाहिए और भर्ती के समय हिंदी का ज्ञान न होने पर उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान अर्जित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करे कि वह उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में भर्ती नियमों का एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण करे । भर्ती के समय हिंदी का निर्धारित ज्ञान न होने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी में निर्धारित स्तर का यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रावधान करने के निमित्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया जाए ।

(झ) प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण

(1) सभी प्रकार का प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से सम्पन्न हो।

समिति ने सिफारिश की है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, हिंदी माध्यम से ही सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियों के लिए हिंदी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो। कम से कम "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थिति प्रशिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था तुरन्त लागू की जानी चाहिए। यदि इन प्रशिक्षण संस्थानों में आने वाले कुछ कर्मचारियों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो तो उन्हें वहां प्रशिक्षण के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भेजा जाए।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में एक निर्धारित समय सीमा में इसके कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी किए जाएं।

(2) नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान न होने पर सेवा के शुरू में ही हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

समिति ने सिफारिश की है कि यदि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान न हो और उन्हें सेवा के शुरू में ही प्रशिक्षण लेना हो तो उनके लिए पहले हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं।

(3) दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

समिति ने सिफारिश की है जहां दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में ही हिंदी का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि हिंदी न जानने वाले नए कर्मचारीगण हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें;

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं।

(4) 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देना।

समिति ने सिफारिश की है कि जहां-जहां भी संभव हो वहां और विशेषकर 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति और इस संबंध में जारी किए गए नियमों, आदेशों आदि की जानकारी भी करा दी जानी चाहिए।

सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं।

(5) प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद ।

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री का अनुवाद शीघ्र कर लिया जाना चाहिए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए जाएं ।

(6) विभिन्न विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखने पर देय प्रोत्साहन योजना को उदार और आकर्षक बनाना।

समिति ने सिफारिश की है कि अनेक मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से पुस्तकें लिखने अथवा अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिये चालू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को अधिक उदार और आकर्षित बनाया जाना चाहिये और जिन मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी योजनाएं शुरू नहीं की है उन्हें भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहियें ।

यह सिफारिश सिद्धांत: रूप में मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किए जाएं।

(7) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में लिखने पर विशेष प्रोत्साहन।

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरतं प्रशिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे कि वे अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में भी लिखने लगें अथवा अनुवाद करने का प्रयत्न करके अपेक्षित पाठ्य-सामग्री तथा संदर्भ साहित्य का निर्माण कर सकें ।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है । सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं ।

(8) केन्द्र सरकार और विश्व-विद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दीर्घ अनुभव और योग्यता का लाभ उठाते हुये उन्हें भी विशेष रूप से प्रोत्सहित किया जाना चाहिये ताकि वे भी कुछ चुने हुये विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी करें ।

(9) विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाए।

समिति ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाना चाहिये ताकि विदेशी भाषाओं के मैनुअल आदि का सीधे हिंदी में ही अनुवाद किया जा सके।

यह सिफारिश सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। इसके लिये रक्षा मंत्रालय स्थिति का मूल्यांकन करे और विदेशी भाषा विद्यालय को उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिये समुचित संसाधन उपलब्ध कराए ।

(10) प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हिंदी सिखाना।

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत जिन प्रशिक्षकों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी सिखाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है।

यह सिफारिश सिद्धांतत: स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए और इनकी सूचना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा उनके अधीन प्रशिक्षण संस्थानों का दे ताकि सभी प्रशिक्षकों को हिंदी के अपेक्षित स्तर का ज्ञान कराया जा सके।

(11) ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र में कार्यरत हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिये ''ग'' क्षेत्र में भेजा जाए।

समिति ने सिफारिश की है कि ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र में कार्यरत हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिये यदि ''ग'' क्षेत्र में भी प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से देने के लिये भेजा जाए तो ''ग'' क्षेत्र में भी प्रशिक्षण केन्द्रों में हिंदी माध्यम का उपयोग करना सुविधाजनक हो जाएगा। ऐसे प्रशिक्षकों को ''ग'' क्षेत्र में कार्य करने की अवधि के दौरान विशेष एवं आकर्षक वेतन दिया जाना चाहिए।

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षकों को ''ग'' क्षेत्र में कार्य करने के लिये आकर्षित करने हेतु विशेष वेतन आदि के संबंध में राजभाषा विभाग वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्यवाई करें।

(ट) राजभाषा विभाग का सुदृढ़ीकरण

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग को सशक्त और साधन-सम्पन्न बनाया जाए, ताकि वह न केवल समिति के प्रतिवेदनों पर समुचित तथा शीघ्र कारवाई कर सकें, बल्कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन को भी सुनिश्चित कर सकें।

समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार की गई है। राजभाषा विभाग देश में व्याप्त कठिन आर्थिक स्थिति के प्रिप्रेक्ष्य में इस विषय में अपने प्रस्ताव पुन: निर्धारित करें और व्यय विभाग के परामर्श के साथ उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

2. समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी भी विचारधीन हैं। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा।

1. समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.10 में सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प का प्रस्ताव।

2. समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.12 में सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने के बारे में सिफारिश।

ह/-

(महेन्द्र नाथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार